न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04/2016

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर		1. बंशीलाल पुत्र कानमल जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड़ बाड़मेर (मैसर्स जीवन मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड़ बाड़मेर का मैनेजर) 2. कौशल्या देवी पत्नी कानमल जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड़ बाड़मेर (मैसर्स जीवन मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड़ बाड़मेर की सोल प्रोप्राईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर
2. अप्रार्थी सं. 01 उपस्थित।
3. .अप्रार्थी संख्या 02 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 05.10..2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.10.2015 को प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय सरकारी वाहन द्वारा मैसर्स जीवन मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड़ बाड़मेर दोपहर 12.45 बजे पहुँचने पर दुकान पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम बंशीलाल पुत्र कानमल जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड़ बाड़मेर (मैसर्स जीवन मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड़ बाड़मेर का मैनेजर) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स जीवन मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड़ बाड़मेर का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ नमकीन ब्राण्ड जीवन (500 ग्राम पैकिंग) 50 पैकेटों में पाई गई। जिसमें मिलावट होने का संदेह होने पर 500–500 ग्राम के कुल 04 पैकेट सीलबंद क्रय कर, कीमत मौके पर मालिक विक्रेता को 320/– रूपये अदा की गयी। प्रत्येक पैकेट पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 600 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किऐ, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहों ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही रूबरू दो गवाहो के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–600 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग संपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूने का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ नमकीन जीवन ब्राण्ड (500 ग्राम) नमूना पी–600 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा जेब जोधुपर द्वारा क्रमांक एलएस /907/एक्ट/2015/976 दिनांक 10.12.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई। उक्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में नमकीन जीवन ब्राण्ड का नमूना मिसब्रान्ड (misbranded) पाया गया। प्रकरण में खाध पदार्थ नमकीन जीवन ब्राण्ड मिसब्रान्ड (misbranded) का विक्रय करने कारण खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन होना पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व समुचित कार्यवाही करने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 600 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नेाटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 एक तरफा।

3. अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर जाहिर किया कि परिवादी द्वारा जो तथ्य परिवाद में अंकित किये गये है, वे स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण की दुकान में जो नमकीन तैयार किया जाता है, उसे रिटेल में थैलियो के अन्दर डालकर दुकान में ही बेचा जाता है। दुकान में तैयार नमकीन की बिक्री पैकेड पैकिट के तौर पर नहीं किये जाने के कारण इस पर पैकिंग तिथि, बैच नम्बर व रिटेल कीमत अंकित नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

4. बहस के दौरान् अप्रार्थी संख्या 01 ने तर्क किया कि उनके द्वारा दुकान के अन्दर अच्छी क्वालिटी का नमकीन तैयार किया जाता, जिसे ग्राहको की मांग अनुसार तौल कर मुद्रित करवाई गई थैलियों में डाल कर दिया जाता है। इसप्रकार खुदरा रूप से बेची जा रही नमकीन मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आती है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त करने के आदेश पारित करावें।

5. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 23.10.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा मैसर्स मैसर्स जीवन मिष्ठान भण्डार स्टेशन रोड़ बाड़मेर पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान् दुकान में नमकीन जीवन ब्रान्ड (500 ग्राम पैकिंग) 50 पैकेटों में पाई गई। उक्त नमकीन में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार नमूना लिया जाकर, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से जांच करवाये जाने पर, जांच में नमकीन जीवन ब्रान्ड (500 ग्राम पैकिंग) का लिया गया नमूना पी.600 मिसब्रान्ड (misbranded) को होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्राथीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

6. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/907/एक्ट/2015/976

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

दिनांक 10.12.2015 का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेची जा रही नमकीन जीवन ब्रान्ड (500 ग्राम पैकिंग) का नमूना मिसब्रान्ड (misbranded) पाया गया। नमकीन मिसब्रान्ड (misbranded) का विक्रय करने के कारण अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण बंशीलाल एवं कौशल्या देवी द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत नमकीन जीवन ब्रान्ड (500 ग्राम पैकिंग) मिसब्रान्ड (misbranded) पदार्थ विक्रय करने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्रान्ड (misbranded) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहतं अभियुक्त बंशीलाल व कौशल्या देवी प्रत्येक पर 10,000/– अक्षरे रूपये दस–दस हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 05.10.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर